"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 जुलाई 2018 — आषाढ़ 18, शक 1940

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–34/2018/वा.क.(आब.)/पांच (51). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ देशी स्प्रिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

संशोधन

1. उक्त नियमों –

   (1) नियम 4 के उपनियम (12) के खण्ड (घ) में शब्द समूह ''भण्डारण–भाण्डागार'', यदि कोई हों, का नाम तथा गन्तव्य जिले का नाम के स्थान पर शब्द समूह ''प्रदाय क्षेत्र का नाम'' प्रतिस्थापित किया जावे।

2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.